पत्र संख्या–कमिश्नर कैम्प/2020–21/ 30 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(कमिश्नर कैम्प)

लखनऊ :: दिनांक :: 29 जून, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

प्रायः देखा जा रहा है कि कतिपय जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा आकस्मिक अवकाश मुझसे स्वीकृत कराये बगैर अवकाश का उपभोग करने के उपरान्त अपना प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा बिना पूर्व अनुमति के अपना मुख्यालय भी छोड़कर बाहर चले जाते है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता होने पर पूर्व में ही अधोहस्ताक्षरी से आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराने के उपरान्त ही आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया जाए। आकस्मिकता अथवा सार्वजनिक अवकाश की स्थिति में भी अपना अवकाश प्रार्थना पत्र कार्यालय के ई–मेल **ctcomhqlu-up@nic.in** पर भेजकर तथा दूरभाष के माध्यम से मुझसे वार्ता कर स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही अवकाश का उपभोग/मुख्यालय छोड़ा जाए। सांथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ नियुक्त कोई भी अधिकारी बगैर आपकी अनुमति/पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जाएंगे।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।